

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2398]	नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2014/अग्रहायण 5, 1936
No. 2398]	NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2014/AGRAHAYANA 5, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2014

का.आ. 2983(अ).—यतः दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में इसकी समीक्षा कार्य के भाग के रूप में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 21 फरवरी, 2014 की सं. का.आ. 497(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से पैंतालीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथाअपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित भी किए गए।

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :

संशोधन:

अध्याय/क्र. सं.	दि.मु.यो-2021 का पैरा/खंड/तालिका	प्रस्तावित संशोधन			
1	2	3			
अध्याय 4.0-आश्रय					
1.	पैरा 4.4.3 भवन/आवासीय परिसरों के अंदर भवन के लिए नियंत्रण क. आवासीय प्लॉट-प्लॉटिड आवास				
		प्लॉट का क्षे. (वर्ग मी.)	अधिकतम तल कवरेज %	एफएआर	आवासीय इकाइयों की संख्या
		750 से अधिक से 1000	50	200	9
		1000 से अधिक से 1500	50	200	9
		1500 से अधिक से 2250	50	200	12
		2250 से अधिक से 3000	50	200	15
		3000 से अधिक से 3750	50	200	18
		3750 से अधिक	50	200	21

[सं. के-12011/9/2012-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2014

S.O. 2983(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 497(E) dated 21st February, 2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty-five days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions were received with regard to the proposed modifications have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, setup by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan of Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

Chapter/S. No.	Para/Clause/Table of MPD-2021	Proposed Modifications			
1	2	3			
CHAPTER 4.0-SHELTER					
1.	Para 4.4.3 CONTROL FOR BUILDING/ BUILDING WITHIN RESIDENTIAL PREMISES A. Residential Plot—Plotted Housing				
		Area of Plot (Sq. m.)	Max Ground Coverage %	FAR	No of DUs
		Above 750 to 1000	50	200	9
		Above 1000 to 1500	50	200	9
		Above 1500 to 2250	50	200	12
		Above 2250 to 3000	50	200	15
		Above 3000 to 3750	50	200	18
		Above 3750	50	200	21

[No. K-12011/9/2012-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.